न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार मूंड , आर.ए.एस.

निर्णय दिनांक :– 28/02/2020

मुकदमां नम्बर :– 66/2009

1. कानाराम पुत्र पन्नाराम गोद जीवणराम जाति जाट निवासी रूणीजा
2. नारायणराम पुत्र गैनाराम जाति जाट फौत के कायम मुकामान
   2/1 भंवरीदेवी पत्नी नारायणराम जाति जाट निवासी रूणीजा
   2/2 मायादेवी पुत्री नारायणराम जाति जाट निवासी रूणीजा
   2/3 जैनादेवी पुत्री नारायणराम जाति जाट निवासी रूणीजा
   2/4 मंगूदेवी पुत्री नारायणराम जाति जाट निवासी रूणीजा
   2/5 प्रकाश पुत्र नारायणराम जाट ना.बा. जरिये माता वादी सं. 2/1

.....................वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार परबतसर
2. किस्तुरराम पुत्र चतराराम जाति जाट निवासी रूणीजा
3. हेमाराम पुत्र चतराराम जाति जाट निवासी रूणीजा
4. हेमाराम पुत्र चतराराम जाति जाट निवासी रूणीजा
5. कालूराम पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी रूणीजा
6. जस्साराम पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी रूणीजा
7. बन्नाराम पुत्र छोटूराम जाति गुर्जर निवासी गींगोली
8. सरदार पुत्र पन्नाराम जाति गुर्जर निवासी गींगोली
9. बिरदाराम पुत्र भगीरथराम जाति जाट निवासी परबतसर
10. भंवरीदेवी पुत्री आसूराम जाति जाट निवासी परबतसर
11. लाडादेवी पुत्री आसूराम जाति जाट निवासी परबतसर
12. हिम्मतसिह पुत्र गुलाबसिंह जाति राजपूत निवासी गींगोली
13. भवानीसिह पुत्र गुलाबसिंह जाति राजपूत निवासी गींगोली
14. गजेन्द्रसिंह पुत्र गुलाबसिंह जाति राजपूत निवासी गींगोली
15. चन्दनसिंह पुत्र गुलाबसिंह जाति राजपूत निवासी गींगोली
16. सुरेन्द्रसिह पुत्र गुलाबसिंह जाति राजपूत निवासी गींगोली

.....................प्रतिवादीगण

दावा बाबत :– इस्तकरारहक व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री प्रहलादराम मिर्धा अधिवक्ता वादीगण

श्री ऋषि बोहरा अधिवक्ता प्रतिवादी 6, 7, 8

निर्णय

1. वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री प्रहलादराम मिर्धा ने यह वाद पेश कर निवेदन किया हैं कि ग्राम गिंगोली के खसरा नम्बर 63 रकबा 131–07 बीघा भूमि स्थित हैं जिसमें 80–00 बीघा भूमि की खातेदारी स्व. आसू वल्द शिवराम, प्रतिवादी बिरदाराम के नाम दर्ज हैं जिसके खसरा नम्बर 63 मिन रकबा 80–00 बीघा हैं। जिसमें से 40 बीघा भूमि पूर्वी तरफ की जीवणराम, लछाराम, चतराराम, पन्नाराम, नारायणराम पि. गेनाराम ने संयुक्त परिवार की आय से संयुक्त परिवार की अवस्था में ही 1000/– रुपये में

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (ना.गौ.)

Scanned by CamScanner

दिनांक 18.12.1963 को रजिस्टर्ड बैचान से खरीद की है। खरीदने के बाद इस भूमि की खातेदारी जीवणराम, लच्छाराम, चताराराम, पन्नाराम, नारायणराम पि. गेनाराम के नाम 1/2 हिस्स की दर्ज हुई हैं गेनारामे के पांचो पुत्र जब वे शामिल थे तो अपनी शामिल अवस्था में ही पन्नाराम, चताराराम क`हिस्से की भूमि प्रतिवादी पन्नाराम पुत्र छोटूराम, जेठाराम पुत्र छोटूराम व पन्नाराम पुत्र छोराम का बेच दी जिसका नामान्तकरण 20 बीघा का छोटूराम के पुत्रों के दर्ज किया गया। 20 बीघा भूमि शेष बची वह वादीगण की हैं जिसमें 10–00 बीधा भूमि वादी 1 की व 10–00 बीघा भूमि वादी संख्या 2 की हैं वादीगण ने अपना हिस्सा नही बैचा था। वादीगण की भूमि की पासबुक सम्वत 2031–34 में दिनांक 22.10.1975 को दी गई थी उक्त भूमि पर वादीगण रिकार्डेड काबिज काश्त खातेदार हैं तथा सम्वत 2031–34 के चौराले में 63 मिन रकबा 80–00 बीघा के चार खसरा नम्बरो में विभाजीत कर दिया गया जो खसरा न्म्बर 63/1 रकबा 11–00 बीघा, खसरा नम्बर 63/2 रकबा 29–00 बीघा, खसरा नम्बर 63/3 रकबा 22–00 बीघा खसरा नम्बर 63/4 रकबा 18–00 बीघा दर्ज किया गया हैं। वादीगण के नाम इस जमीन की खातेदारी सम्वत 2036–39 तक चौराले में दर्ज चली आ रही हैं तथा सम्वत 2036–2039 में जरिये नामान्तकरण संख्या 144 दिनांक 21.03.1983 को इस भूमि की खातेदारी बहक सरकार दर्ज कर दिया गया लेकिन इसकी इतला वादीगण को नहीं दी गई। आज भी हमारी 20–00 बीघा भूमि काबिज हैं तथा 20–00 बीघा भूमि पर छोटूराम की औलाद काबिज हैं तथा 40 बीघा भूमि पर आसूराम बिरदाराम की औलाद काबिज हैं। वाद पेश करने की दिनांक से 20 रोज़ पूर्व पटवारी हल्का द्वारा हमे कहा गया की उक्त भूमि वादीगण की नहीं हैं जब ज़माबन्दी की नकल प्राप्त दिनांक 27.11.2006 को नकल प्राप्त की तो उसमें चार खसरान राज्य सरकार के खाते में दर्ज पये जिस पर पुरानी जमाबन्दी सम्वत 2011 से लेकर निकलवायी तथा गिरदावरी की नकल निकलवायी जिससे पता चला की उक्त भूमि का प्रतिवादी 12 से 16 के पिता ने बिना किसी अधिकार के उन पर चले सींलिग के मुकदमें में राज्य सरकार को सौप दी हैं जिसका उसे कोई अधिकार नहीं था क्योंकि उक्त भूमि पूर्व से ही आसूराम व बिरदाराम के नाम दर्ज थी तथा उनका कब्जा काश्त था जिनसे वादीगण ने खरीदी हैं इसलिये गुलाबसिंह द्वारा की गई कार्यवाही एबइनीसीयो वोर्डड है। गुलाबसिंह पर मुकदमां चला था जिसमें गुलाबसिह ने दूसरो की जमीन राज्य सरकार को समर्पण कर दी जिस पर दिनांक 24.03.1983 को हीराराम वगैरा ने एक उजरदारी की खसरान के बाबत की जिसमें खसरा नम्बर 63 की भी उजरदारी की गई थी जिसस उजरदरी में अतिरिक्त जिलाधीश नागौर ने उजरदारी स्वीकार की और गुलाबसिंह को आदेश दिया कि वह भार रहित भूमि समर्पण करे अतिरिक्त जिलाधीश नागौर ने दिनांक 27.05.1983 को यह आदेश दिया था जिस आदेश के विरूद्ध गुलाबसिंह माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश की लेकिन

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व मण्डल ने गुलाबसिंह की अपील गुलाबसिंह बनाम हीराराम दिनांक 21.06.1988 को खारिज की गई और यह निर्णय बहाल रहा कि गुलाबसिंह भार रहित भूमि राज्य सरकार को समर्पण करे। वादीगण की भूमि का अधिग्रहण हुआ ही नहीं हैं न ही वादीगण को सुना गया हैं। वादीगण ने वाद पेश कर ग्राम गिंगोली के खसरा नम्बर 63 खेत रैंजाड़िया वाला कुल रकबा 80–00 बीघा में से 20 बीघा में 10–00 बीघा भूमि वादी संख्या 1 तथा 10–00 बीघा भूमि वादी नम्बर 2 की खातेदारी में घोषित करने व नामान्तकरण संख्या 144 दिनांक 21.03.1984 से किया गया इन्द्रजा निरस्त फमाया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वादीगण को उनके कब्जे काश्त से बेदखल नहीं करे।

2. वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 05.03.2007 को प्रतिवादी 1 से 8 के सम्मन विधिवत तामील होकर प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी 10 11 की ओर से अधिवक्ता ने अपनी उपस्थिति दी। प्रतिवादी 13, 14, 15, 16 के सम्मन स्थानिय समाचार पत्र में प्रकाशित करवाये जाने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर दिनांक 13.07.2011 को एक पक्षीय कार्यवाही की गईप्रतिवादी 9, 10, 11 की ओर से दिनांक 30.07.2012 को जवाब पेश कर निवेदन किया गया हैं कि ग्राम गिंगोली के खसरा नम्बर 63 मिन रकवा 80 बीघा भूमि में से 40 बीघा भूमि जीवणराम, लच्छाराम, चतराराम, पन्नाराम, नारायणराम पि. गेनाराम की खरीद सुदा कब्जा सुदा खातेदारी की भूमि हैं जिसमें से अगूणी तरफ की आधी अर्थात 20 बीघा भूमि प्रतिवादी बन्नाराम व प्रतिवादी सरदार के पिता पन्नाराम व जेठाराम पुत्र छोटूराम ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 15.11.1973 को क्रय की हैं जिसमें हम प्रतिवादीगण की खरीद सुदा भूमि हैं वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे। वाद में दिनांक 11.11.2014 को तनकीयात कायम की गई। साक्ष्य वादी में कानाराम, हरलाल के शपथ पत्र पेश किये दिनांक 15.02.2017 को वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नहीं करने एवं प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य पेश नहीं करना चाहे जाने पर साक्ष्य वादी व साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

3. वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पर उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। वादीगण व प्रतिवादीगण दोनों ही पक्षों द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से इस वाद का निर्णय तनकीवार करने की आवश्यकता नहीं है।

4. वादीगण द्वारा वाद के सम्बन्ध में वादीगण के अधिवक्ता ने जाहिर किया हैं कि विवादित आराजीयत ग्राम गिंगोली के खसरा नम्बर 63 रकबा 131–07 बीघा भूमि स्थित थी जिसमें से 80–00 बीघा भूमि स्व. आसूराम पुत्र शिवदान व प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

Scanned by CamScanner

बिरदाराम की खरीद सुदा भूमि हैं जिसमें से 40 बीघा पूर्वी तरफ की जीवणराम, लच्छाराम, चतराराम, पन्नाराम, नारायणराम पि. गेनाराम ने संयुक्त परिवार की आय से दिनांक 18.12.1963 को जरिये रजिस्टर्ड बैचान से खरीद की हैं, जिसमें से गेनाराम के पांचों पुत्रो ने 20 बीघा भूमि छोटूराम के पुत्रों को बैचान कर दी जिसके बाद शेष 20–00 बीघा भूमि वादीगण की हैं जिसमें 10 बीघा भूमि वादी 1 की एवं 10 बीघा भूमि वादी 2 की हैं, उक्त भूमि वादीगण की खरीद सुदा भूमि हैं उक्त भूमि के तत्कालिन खातेदार गुलाबसिंह ने इस भूमि को सींलिग के प्रकरण में सरकार के पक्ष मे समर्पण कर दी जिसका उसे कोई अधिकार नहीं था क्योंकि सींलिग प्रकरण में गुलाबसिंह को भार रहित भूमि समर्पण करने का आदेश दिया गया था उक्त भूमि पर वक्त सेटलमेन्ट के समय से ही स्व. आसूराम व बिरदाराम का कब्जा काश्त हैं जिससे वादीगण ने उक्त भूमि खरीद की हैं जिससे इस भूमि को राज्य सरकार के हक में देने का उसके कोई अधिकार नहीं था उक्त भूमि सम्वत 2036–39 में जरिये नामान्तकरण संख्या 144 दिनांक 21.03.1983 के द्वारा सरकारी के खाते में दर्ज की गई जो सम्पूर्ण कार्यवाही वादीगण के पीठ पीछे की गई हैं इसकी जानकारी वादीगण को नहीं दी गई न वादीगण को किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर दिया गया है, आज भी वादीगण का कब्जा काश्त हैं इस भूमि से कभी भी वादीगण को बेदखल नहीं किया गया हैं। जिससे वादीगण इस 20 बीघा भूमि की खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण ने वाद पत्र में जो तथ्य अंकित किये हैं इस सम्बन्ध में वादीगण ने कोई प्रमाणित दस्तावेज पेश नहीं किऐ है, न ही साक्ष्य पेश कर दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये हैं इस सम्बन्ध में दिनांक 09.03.2016 को आदेश 7 नियम 14 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर विस्तुत निर्णय किया जाकर वादीगण को मूल दस्तावेज पेश करने हेतु हिदायत दिये जाने के बावजूद वादीगण द्वारा मूल दस्तावेज पेश नहीं किये हैं, दस्तावेजो के अभाव में भी वादीगण के वाद में वर्णित तथ्य प्रमाणित नहीं होते हैं। वादीगण ने दस्तावेज एवं साक्ष्य से वादीगण ने वाद साबित नहीं किया हैं। वादीगण द्वारा वाद साबित करने में असफल रहे हैं जिससे स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद इस्तकरारहक व स्थाई निषेधाझा साबित करने में असफल रहे हैं जिससे वादीगण का वाद अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। डिकी पर्चा जारी हो। यह आदेश आज दिनांक [28/02/2020] को सारे इजलास सुनाया गया।

28/02/2020

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

Scanned by CamScanner